100/-

Joint Sub-Registrar I
Ex Officio Stamp Vendor
R O (O.B.) Ranga Reddy (Dist.)

(N.J.) SL.NO. PURCHASER EXECT/CLMT SIG OF S.R. D.R. OFFICE R.R. DIST.
INDIA STAMP DUTY ANDHRA PRADESH
Stock No. C-4 Comp. No. 2660369
JAN 23 2008

फार्म सी.4
FORM C.4

समग्र सीमा के लिए गारंटी का विलेख
(DEED OF GUARANTEE FOR OVERALL LIMIT)

(अनुप्रमाणित न किया जाए)
(अनुबन्ध की तरह स्टाम्पित किया जाए)
(NOT TO BE ATTESTED)
(To be stamped as an Agreement)

*कृपया गारंटीकर्ताओं के नाम और पते लिखें

गारंटी का यह विलेख के दिन, दो हजार को निम्नलिखित ने

(1) श्री/श्रीमती/कुमारी * घर का पता
(2) श्री/श्रीमती/कुमारी * घर का पता
(3) श्री/श्रीमती/कुमारी * घर का पता
(4)

THIS DEED OF GUARANTEE made the 04th day of ~~January~~ february two thousand Eight

BY

* Please insert the names and address of guarantors

(1) Shri/Smt./Kum.* Sudhir Uttamlal mehta residing at
(2) Shri/Smt./Kum.* Aradhana Sudheer mehta residing at
(3) Shri/Smt./Kum.* Rahul mehta residing at
(4) Sri Harsha Deepak mehta
(5) Kusum S mehta
(6) Varsha vasanth mehta
(7) Anand S mehta

लिमिटेड जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय** पर हैं जिन्हें इसके पश्चात जब तक कि विशेष रूप से उनको अन्यथा पद नाम बना दिया जाये, " गारंटीकर्ता " कहा गया हैं और जब तक यह शब्द संदर्भ के या अर्थ के प्रतिकूल न हो तब तक इसमें जहां तक कम्पनी का संबंध हैं, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती और जहां तक अन्यों का संबंध हैं, उनके वारिस निष्पादकर्ता प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि ने भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में निष्पादित किया हैं जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निर्मित एक निगम हैं और जिसका स्थानीय मुख्य कार्यालय* पर और जिसकी एक शाखा अन्य स्थानों के अलावा** पर हैं (इसे जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा पद का नाम न दिया गया हो, इसके पश्चात " बैंक " कहा गया हैं । और जब तक यह शब्द संदर्भ के या अर्थ के प्रतिकूल न हो तब तक इसमें बैंक के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे)

**कृपया पंजीकृत कार्यालय का पता लिखें

*कृपया प्रधान कार्यालय का पूर्ण पता लिखें

** कृपया शाखा का पूर्ण पता लिखें

m/s DILPREET TUBES PVT Limited, a company within the meaning of the Companies Act, 1956 and having its registered office at ** Plot NO 8 Nacharam IE Hyderabad (hereinafter unless otherwise specifically designated referred to as "the Guarantors" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include in so far as the company is concerned its successors and permitted assigns and in so far as the others are concerned their respective heirs, executors, administrators and legal representatives) in favour of STATE BANK OF INDIA a Corporation constituted by the State Bank

** Please insert the address of registered office

* Please insert full address of the Head Office

x Aradhana. S. mehta
x Harsha. D. mehta
x Varsha. v. mehta
x [signature]
x Anand S mehta
x [signature]
x Kusum-S-mehta

**Please insert full address of the Branch

of India Act, 1955 and having one of its Local Head Office at *Hyderabad and among other places a branch at ** Balanagar
(hereinafter unless otherwise specifically designated referred to as "the Bank" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and assigns).

*कृपया ऋणी का नाम लिखें

**कृपया व्यवसाय के स्थान का पूरा पता लिखें

***कृपया फर्म का नाम लिखें

चूंकि ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जो श्री/श्रीमती/कुमारी*
सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री- और जो अपना
व्यवसाय**
स्थान पर मेसर्स***
नाम और अभिमान से एकल स्वत्वधारी के रूप में चला रहे हैं (जिन्हें इसके पश्चात् "ऋणी " कहा गया हैं । जप तक इस शब्द का अर्थ संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो तब तक इसमें वे और उत्तरजीवी अथवा उनके उत्तरजीवी अथवा भागीदार अथवा उसका उस समय जो भागीदार होगा वह अथवा उसके/उनके वारिस निष्पादनकर्ता, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और समनुदेशिती सम्मलित समझे जायेगें

या

*Please insert the name of Borrower

**Please insert the full address of the place of business

***Please insert the name of the firm

WHEREAS in terms of an Agreement of Loan executed by
Shri/Smt./Kum.*
son of/wife of/daughter of
at present carrying on the business at**
as sole proprietor/proprietress under the firm name and style of
Messrs***
(hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include him/her and his/her heirs, executors, administrators, legal representatives, successors and permitted assigns)

OR

*कृपया ऋणी का नाम लिखें

श्री/श्रीमती/कुमारी*
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
श्री/श्रीमती/कुमारी*
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
श्री/श्रीमती/कुमारी*
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

**कृपया व्यवसाय के स्थान का पूरा पता लिखें

***कृपया, फर्म का नाम लिखें

जो वर्तमान में**
पर भागीदार में मेसर्स***
फर्म के नाम और अभिनाम से व्यवसाय चला रहे हैं. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "ऋणी " कहा गया हैं और इस शब्द का अर्थ जब तक कि संदर्भ या अर्थ की दृष्टि से विपरीत न हो तब तक इसमें ये सभी और उत्तरजीवी या उनके उत्तरजीवी या भागीदार या उस समय जो एक भागीदार हो वह और क्रमशः उनके वारिस, निष्पादनकर्ता, प्रशाासक, कानूनी प्रतिनिधि और समनुदेशिती शामिल समझे जायेंगे)

य

* Please insert he name of the Borrower

Shri/Smt./Kum.*
son of/wife of/daughter of
Shri/Smt./Kum.*
son of/wife of/daughter of
Shri/Smt./Kum.*

x Aradhana S. Mehta

x Harsha D. Mehta

x Varsha V. Mehta

x [signature] Mehta

x [signature]

Kusum S. Mehta

son of/wife of/daughter of
Shri/Smt./Kum.*
son of/wife of/daughter of

**Please insert full address of the place of business

***Please insert the name of the firm

at present carrying on the business at**
in partnership under the firm name and style of Messrs***
(hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include them and survivors or survivor of them or the partners or partner for the time being thereof and his/her/their respective heirs, executors, administrators legal representatives and assigns)

OR

श्री*
सुपुत्र श्री   अपनी ओर से और अपने संयुक्त परिवार
के कर्ता के रूप में जो**   पर
मेसर्स***   नाम की फर्म के रूप में संयुक्त परिवार का व्यवसाय चला रहे हैं (जिन्हें इसम इसके पश्चात् " ऋणी " कहा गया है और इस शब्द का अर्थ जब तक कि वह संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो तब तक इसमें वह स्वयं और ऋणी के संयुक्त परिवार के सभी सहदायी और उत्तरजीवी अथवा उनके उत्तरजीवी और क्रमशः उसके/उनके वारिस, निष्पादनकर्ता, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल समझे जायेगें)

या

Shri*
son of   for self and as the Karta of
his joint family carrying on the business at**
                                        as joint family business
under the firm name and style of***
                                        (hereinafter referred to
as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include him and all the co-parceners of the joint family of the Borrower and the survivors of survivor of them and his/their respective heirs, executors, administrators, legal representatives successors and permitted assigns).

OR

*   जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम/
सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समाज/संघ हैं और जिसका पंजीकृत कार्यालय*
पर है
(जिसे इसमें इसके पश्चात् "ऋणी" कहा गया है। इस शब्द का अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो तब तक इसमें उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती भी शामिल समझें जायेंगे)

या

*   a society/association registered
under the Societies Registration Act/Co-operative Societies Act, and having its registered office at*
(hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and permitted assigns)

Aradhana S. Mehta
Jiraglal D. mehta
Varsha V. mehta

Kusum-S-mehta

OR

* लिमिटेड जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कम्पनी हैं और जिसका पंजीकृत कार्यालय पर हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् " ऋणी " कहा गया हैं और जिस शब्द का अर्थ, जब तक कि वह संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो तब तक इसमें उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल समझे जायेंगे ।) और दूसरे पक्ष के रुप में बैंक के बीच के दिन वर्ष 20 को किया गया अनुबन्ध हैं जिसे दिनांक के अनुपूरक करार के माध्यम से परिशोधित और/या विस्तृत किया गया हैं और यह अनुबन्ध ऋणी और बैंक के बीच निष्पादित हुआ हैं (इसे इसके पश्चात् सामूहिक रुप से " उपरोक्त ऋण अनुबन्ध " कहा गया हैं) जिसके अनुसार बैंक ने यह स्वीकार कर लिया हैं कि वह कोई या कुछ या सभी ऋण सुविधाएं देकर ऋणी के व्यवसाय के लिए वित्तपोषण करेगा या बैंक ने यह स्वीकार कर लिया हैं कि ऋणी को जो ऋण सुविधाएं दी गई हैं वे जारी रखी जायें और बैंक ने यह भी स्वीकार कर लिया हैं कि # ओवरड्राफ्ट, मांग ऋण, ऋण, कैश क्रेडिट (लॉक एण्ड की बन्धक, " फैक्टरी टाइप " बधंक या मण्डी टाइप बधंक या आडमान या किसी और रूप में हों, जिनमें कार्य पूंजी के लिए सावधि ऋण भी शामिल हैं), सावधि ऋण (जिनमें ब्याज के लिए वित्त की व्यवस्था करना शामिल हैं या वित्तपोषण किसी और रूप में जो किसी कारोबार को फिर से चलाने के उपायों के अंग के रुप में एक मुश्त पैकेज के रुप में दिये गये हों), माल के जहाज में लदान से पूर्व या लदान के बाद के ऋण, साख पत्रों का जारी करना. गारंटी जारी करना जिनमें आस्थिगत भुगतान की गारंटियां और क्षतिपूर्तियाँ भी शामिल हैं, मांग और/या सावधि बिलों और देशी या विदेशी चैंकों की बिक्री और बट्टा कृत करने और ऐसी अन्य सुविधायें जिनके बारे में समय-समय पर बैंक और ऋणी के बीच समझौता हो जाये और जिनकी कुल राशि मिला कर रुपये (रुपये*) से अधिक नहीं होगी (जिन्हें इस विलेख में इसके पश्चात् उपरोक्त ऋण सविधाएँ कहा गया है) और जिनकी शर्तों को उनमें उल्लिखित किया गया है.

बैंक ऋणी पर उन सुविधाओं हेतु वाद चलाने/न चलाने हेतु स्वतंत्र है जिनमें ये सुविधाएं भारतीय मुद्रा में या विदेशी मद्राओं में और ये चाहे

To be deleted if not required

* M/s DILPREET TUBES PVT Limited, a company within the meaning of the Companies Act, 1956, and having its registered office at** (hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and permitted assigns) with the Bank of the Other Part on the day of 20 * as modified and/or extended by Supplemental Agreement dated the day of 20 executed between the Borrower and the Bank (hereinafter collectively referred to as "the said Agreement of Loan") the Bank has agreed to finance the business of the Borrower by granting all or some or any of the credit facilities or the Bank has agreed to continue the credit facilities now being enjoyed by the Borrower and the Bank has also agreed not to sue the Borrower in respect of all or some or any of the credit facilities either in Indian or foreign currencies by way of overdrafts demand loans, loans, cash credits (by way of pledge lock and key type, factory type or mundy type or by way of hypothecation or in any other form including working capital term loan), term loans (including funding of interest or in any other form granted as part of rehabilitation packages), pre-shipment and post-shipment credits, opening of letters of credits, issuing of guarantee including deferred payment guarantees and indemnities negotiations and discounting of demand and/or usuance bills and cheques inland as well as foreign and such other facilities as may be agreed upon from time to time between the Bank and Borrower for sums not exceeding in the aggregate the sum of Rs. 12.50 Cr (Rupees* Twelve Crores fifty lakhs only) (hereinafter referred to as "the aforesaid credit facilities) on the terms and conditions specified and contained therein.

Insert here the amount of the original overall limit

+ Aravdhaman S. Mehta.

+ Harsha D. Mehta.

+ Varsha V. Mehta

+ [signature]

+ [signature]

+ Kusum S. Mehta

और चूंकि उपरोक्त ऋण अनुबन्ध में एक शर्त यह है कि ऋणी बैंक के पक्ष में एक गारंटी लाये और दे जिसमें ऋणी द्वारा रुपये

(रुपये मात्र) कि उपरोक्त राशि के विधिवत भुगतान (इसके पश्चात् इस राशि को संक्षेप में " मूलधन" कहा गया है) की गारंटी की गई हो, साथ ही उसमें मूलधन के साथ ब्याज, लागतों, शुल्कों, खर्चों और/या अन्य राशियों जो उपरोक्त ऋण सुविधाओं या उनमें से किसी एक सुविधा के अनुसार या अंतर्गत बैंक को देय हो बैंक द्वारा मांगे जाने पर उनके भुगतान की गारंटी भी की गई हो.

AND WHEREAS one of the conditions specified and contained in the said **Agreement of Loan is that the Borrower shall procure and furnish to the Bank a** guarantee guaranteeing due payment by the Borrower of the said sum of Rs. * 12.50 cr /- (Rupees Twelve crores fifty lakh only) (hereinafter for the sake of brevity referred to as "the principal sum") together with interest costs charges expenses and/or other monies due to the Bank in respect of or under the aforesaid credit facilities or any of them on demand by the Bank.

और चूंकि गारंटी कर्ताओं ने ऋणी की प्रार्थना पर और इस प्रतिफल के कारण कि बैंक ने उपरोक्त ऋण सुविधायें ऋणी को दे दी है या देना स्वीकार कर लिया है, गारंटी कर्ताओं ने बैंक के पक्ष में इस गारंटी का निष्पादन करना स्वीकार कर लिया है और इसकी शर्तों का वर्णन इसमें इसके पश्चात् किया गया है.

AND WHEREAS the Guarantees at the request of the Borrower and in consideration of the Bank having agreed to grant or granted at the request of the Guarantors the aforesaid credit facilities to the Borrower have agreed to execute this Guarantee in favour of the Bank on the terms and in the manner hereinafter appearing.

यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रसंविदा और अनुबन्ध किया जाता है (गारंटीकर्ता संयुक्त रुप से और अलग-अलग व्यक्तिगत रुप से प्रसंविदाबद्ध और सहमत हुए हैं) :-

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in consideration of the above premises it is hereby covenanted and agreed (the Guarantors covenanting and agreeing jointly and severally) as follows :

1. यदि किसी भी समय ऋणी उपरोक्त ऋण सुविधाओं या उनमें से किसी एक के अंतर्गत मूलधन (जो रु (रुपये) से अधिक नही होगा) ब्याज, लागतें, शुल्क, खर्च और/या अन्य राशियों जो उस समय बैंक को देय हों, के भुगतान में चूक करता है तो गारंटीकर्ता मांग करने पर तुरंत बैंक को उपरोक्त पूर्ण मुलधन (जो रुपये से अधिक नहीं होगा) ब्याज, लागतें, शुल्क खर्च और/या अन्य राशियों जो उपरोक्त ऋण सुविधाओं के संदर्भ में बैंक को देय हों का भुगतान करेंगे और उपरोक्त मूलधन, ब्याज या अन्य देय राशियों और सभी लागतों शुल्कों और खर्चे के लिए जो बैंक को इसलिए करना पड़े कि ऋणी की ओर से भुगतान में चूक हुई है बैंक को क्षतिपूर्ति देंगे और क्षतिपूर्ति की स्थिति को बनाए रखेंगे

1. If at any time default shall be made by the Borrower in payment of the principal sum (not exceeding Rs. 12.50 cr) together with interest, costs, charges, expenses and/or other monies for the time being due to the Bank in respect of or under the aforesaid credit facilities or any of them the Guarantors shall forthwith on demand pay to the Bank the whole of such principal sum (not exceeding Rs. 12.50 cr)

Aradhana S Mehta
Harsha D Mehta
Varsha V Mehta
Kusum S Mehta

together with interest, costs, charges, expenses and/or any other monies as maybe then due to the Bank in respect of the aforesaid credit facilities and shall indemnify and keep indemnified the Bank against all losses of the said principal sum, interest or other monies due and all costs charges and expenses whatsoever which the Bank may incur by reason of any default on the part of the Borrower.

2. गारंटीकर्ता इस बात को स्वीकार करते हैं और यह पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत खोले गये खाते/खातों में शेष राशियों पर उस दर/दरों पर ब्याज लिया जायेगा जिसका निर्धारण बैंक समय-समय पर करेगा. और यदि इस दर का संबंध स्टेट बैंक अग्रिम दर से हो तो स्टेट बैंक अग्रिम दर में परिवर्तन के कारण उस परिवर्तन की तिथि से ऐसे खाते की शेष राशियों पर ब्याज की प्रभावी दर तदनुसार बदल जायेगी। ब्याज का आंकलन ऐसे खातों की दैनिक शेष राशि पर किया जायेगा और वह राशि बैंक में प्रचलन के अनसार मास के अंतिम कार्य दिवस या तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को उस खाते/खातों के नाम डाल दी जायेगी। बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह अपने विवेकाधिकार से ऐसे खातों पर या तो सारी शेष राशियों के योग पर या उनके किसी अंश पर ऐसी बढ़ी हुई दर से ब्याज ले जिसका निर्धारण वह किसी अनियमितता के लिए करेगा और इस दर पर ब्याज उस अवधि के लिए लिया जायेगा जिसमें यह अनियमितता जारी रहती है या जिस अवधि के लिए बैंक ऐसा करना आवश्यक समझता है। इस संबंध में बैंक इस बात का ध्यान रखेगा कि अनियमितता का स्वरूप क्या था, बढ़ी हुई दर पर ब्याज लेने का यह अर्थ नहीं होगा कि ऐसा कर लेने से बैंक के अन्य अधिकार और उपचार किसी प्रकार से प्रभावित होंगे.

2. The Guarantors agree and confirm that interest shall be charged on the outstandings in the account(s) opened in respect of the aforesaid credit facilities at such rate(s) as may be determined by the Bank from time to time and in such rate is linked to the State Bank Advance Rate obtaining at the particular time, any revision in the State Bank Advance Rae shall correspondingly change the effective rate of interest on such account from the date of such revision. Interest shall be calculated respectively on the daily balance of such account(s) and be debited thereto on the last working day of the month or quarter according to the practice of the Bank. The Bank shall also be entitled to charge as its own discretion such enhanced rates of interest on the account(s) either on the entire outstanding or on a portion thereof as it may fix for any irregularity and for such period as the irregularity continues or for such time as Bank the deems it necessary regard being had to the nature of the irregularity and the charging of such enhanced rate of interest shall be without prejudice to the Bank's other rights and remedies.

3. बैंक को इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह इस गांरटी पर प्रभाव डाले बिना उपरोक्त ऋण सुविधाओं के बारे में अलग-अलग सीमाओं की राशियों में फेरबदल कर दे जैसा समय-समय पर बैंक और ऋणी के बीच सहमति हो जाए लेकिन शर्त यह हैं कि इन सीमाओं का कोई जोड़ मूलधन से अधिक नहीं होगा और या बैंक किसी समयावधि के लिए या समय-समय पर उपरोक्त मामलों के संबंध में उसे उपलब्ध प्रतिभूतियों के उपचारों को लागू न करके इन्हें स्थगित करने का भी अधिकार होगा या वह ऋणी को कोई समय की छूट देने से या ऐसा हो जाने पर कि बैंक कोई कार्यवाही नहीं करता या उसमें चूक जाता है या ऋणी के प्रति कृपा पूर्वक कोई और काम करता हैं या अन्य मामलों या अन्य बातों के प्रभाव से प्रतिभूति संबंधी नियमों के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाही करता हैं जिसके प्रभाव से यह प्रावधन न होने की दशा में गारंटी कर्ता इस उपबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों से मुक्त हो सकते थे, मुक्त नहीं होंगे.

3. The Bank shall have the fullest liberty without affecting this Guarantee to vary the amounts of the individual limits of the aforesaid credit facilities as may be agreed upon from time to time between the Bank and the Borrower subject to the aggregate

+ Aradhana. S. mehta

+ Jhasha D. mehta.

+ Varsha V. mehta

to time enforce or forbear to enforce any remedies [illegible]

of its liberty with reference to the matters aforesaid or any of them or by reason of time being given to the Borrower or of any other forbearance act or omission on the part of the Bank or any other indulgence by the Bank to the Borrower or by any other matters or things whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have the effect of so releasing the Guarantors.

4. चूंकि उपरोक्त ऋण सुविधाओं को और प्रतिभूत करने के संबंध में ऋणी की चल संपत्तियों का आडमान और/या बंधक किया गया है और/या ऋणी अपनी अचल संपत्तियों के बारे में अलग से बंधक संबंधी अलग-अलग प्रतिभूति के दस्तावेजों का निष्पादन किया है और उनमें ऐसी शर्तें हैं कि बीमे की पॉलिसियाँ बैंक के नाम की जाएं और बैंक को भेज दी जाएं, संपत्तियों का मार्जिन या मूल्य बनाये रखा जाए और बैंक को समय-समय पर विभिन्न विवरण दिए जाएं, इसके लिए गारंटीकर्ता यह स्वीकार करते हैं कि ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा करने या उसे प्राप्त करने या प्रतिभूति की दस्तावेजों की शर्तों के पालन या निष्पादन में असफलता या इस बारे में बैंक की चूक कि वह उपरोक्त शर्तों का पालन न करा उसका अर्थ यह नहीं होगा कि इस अनुबन्ध के अंतर्गत गारंटीकर्ता अपने दायित्व से मुक्त हो गए हों या उनका दायित्व किसी प्रकार कम या समाप्त हो गया है।

4. As the aforesaid credit facilities have been further secured by hypothecation and /or pledge of the Borrower's movable properties and / or mortgage of the Borrower's immovable properties under separate security documents executed by the Borrower with the Bank which security documents would contain stipulations as to insurance assignment and delivery of Insurance Policy to the Bank the margin or value of properties to be maintained and the periodical furnishing of different statements to the Bank and other matter the Guarantor agree that no failure in requiring or obtaining such security or in the observance or performance of any of the stipulations or terms of the said security documents and no default of the Bank in requiring or enforcing the observance or performance of any of the said stipulations or terms shall have the effect or releasing or discharging or in any manner affecting the liability of the Guarantors under these presents.

5. बैंक को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह उपरोक्त ऋण सुविधाओं या उनमें से किसी एक या उसके किसी अंश के संबंध में अन्य प्रतिभूतियाँ ले और इन प्रतिभूतियों के अंतर्गत या किसी संपार्श्विक प्रतिभूति या उन प्रतिभूतियों से जो बैंक के पास हैं ऋणी को मुक्त कर दे या उनके अंतर्गत किसी उपाय को लागू न करे तो इसका अर्थ यह नहीं लिया जायेगा कि इस गारंटी के अंतर्गत गारंटीकर्ताओं को तब तक उपरोक्त प्रतिभूति और/या किसी अन्य प्रतिभूति का लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक कि ऋणी पर उपरोक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में बैंक के सारे दावे और किसी अन्य आधार पर ऋणी के विरुद्ध बैंक के सारे या कोई अन्य दावे पूरे नहीं हो जाते और जहां तक ऐसी किसी प्रतिभूति का संबंध हैं, उसके अंतर्गत बैंक के दावों की राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक किसी गारंटीकर्ता को या अन्य व्यक्तियों को ऐसी प्रतिभूतियों का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

5. The Bank shall be at liberty to take in addition to the subsisting securities any other securities for the aforesaid credit facilities or any of them or any part thereof and to release or forbear to enforce all or any of the remedies upon or under such securities and any collateral security or securities now held by the Bank and that no such release or forbearance as aforesaid shall have the effect of releasing or discharging or in any manner affecting the liability of the Guarantors under the Guarantee and that the Guarantors shall have no right to the benefit of the said security and / or any other security that may be held by the Bank until the claims of the Bank against the Borrower in respect of the aforesaid credit facilities and of all (if

Aradhana S. Mehta.

A. Mehta

Jhansha D. mehta.

Varsha V. mehta

Kusum S. mehta

any) other claims of the Bank against the Borrowers on any other account whatsoever shall have been fully satisfied and then in so far only as such security shall not have been exhausted for the purpose of realising the amount of the Bank's claims and ratably only with other Guarantor or other persons (if any)entitled to the benefit of such securities respectively.

6. इस अनुबन्ध में जो गारंटी दी गई हैं उसके आधार पर गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाही की जा सकेगी और इस बात से कोई भेद नहीं पड़ेगा कि उपरोक्त प्रतिभूतियां या उनमें से कोई प्रतिभूति या अन्य संपार्श्विक प्रतिभूतियां जो बैंक ने ऋणी से प्राप्त की हों या ऋणी से या किसी अन्य व्यक्ति से उस समय प्राप्त करे जब इस अनुबन्ध के अंतर्गत गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाही करे, वे पूरी नहीं हुई और/या उन्हें लागू नहीं किया गया और/या उनकी राशियाँ वसूल नहीं हुई.

6. The Guarantee herein contained shall be enforceable against the Guarantors notwithstanding the securities aforesaid or any of the them or any other collateral securities that the Bank may have obtained or may obtain from the Borrower or any other person shall at the time when proceedings are taken against the Guarantors hereunder be outstanding and/or not enforced and or remain unrealised.

7. इस करार में जो गारंटी दी गई हैं उसे कार्यान्वित करने के लिए बैंक को इस प्रकार कार्रवाही करने का अधिकार होगा मानों कि गारंटी दाताओं ने वे सारी राशियाँ मुख्य ऋणीयों के रुप में स्वयं बैंक से ली हों, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया हैं।

7. In order to give effect to the Guarantee herein contained the Bank shall be entitled to act as if the Guarantors were principal debtors to the Bank for all payments guaranteed by them as aforesaid to the Bank.

8. इस अनुबन्ध के अंतर्गत दी गयी गारंटी अविरत गारंटी है जो उन सभी राशियों पर लागू होगी जो उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अनुरूप या उनके अंतर्गत बैंक ने ऋणी को दी है. यह गारंटी उस सारे ब्याज, लागतों और अन्य राशियों पर भी लागू होगी जो समय-समय पर देय हो जायें और बैंक को चुकायी न गई हों। बैंक द्वारा खोले गये या खोले जाने वाले किसी खाते या खातों में शेष राशि न रहने या समय-समय पर उनमें राशियाँ जमा होने या उन खाते या खातों के बंद किये जाने और नया खाता या खाते खोले जाने से इस गारंटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो ऋणी को दी गई समग्र सीमा के अंतर्गत नयी सुविधाओं के लिए खोले जायेंगे।

8. The guarantee herein contained is a continuing one for all amounts advanced by the Bank to the Borrower in respect of or under the aforesaid credit facilities as also for all interest costs and other monies which may from time to time become due and remain unpaid to the Bank thereunder and shall not be determined or in any way be affected by any account or accounts opened or to be opened by the Bank becoming nil or coming into credit at any time or from time to time or by reason of the said account or accounts being closed and fresh account or accounts being opened in respect of fresh facilities being granted within the overall limit sanctioned to the Borrower.

9. इस बात के होते हुए भी कि किसी प्रतिभूति के अंतर्गत जो बैंक ने प्राप्त की हो या वह आगे प्राप्त कर सकता हैं बैंक को जो अधिकार प्राप्त हैं उसके अंतर्गत बैंक को इस बात की पूरी स्वतंत्राता होगी कि वह गारंटीकर्ताओं से अधिक से अधिक रु (रुपये)
तक मूलधन के अलावा ब्याज और अन्य लागतें (जैसे कि कोई मुवक्किल अपने वकील को देता हैं) शुल्क और खर्च और/या अन्य राशियाँ जो उपरोक्त ऋण सुविधाओं के कारण या उनके अंतर्गत बैंक को देय हो गयी हों के भुगतान के लिए कहे और बैंक के लिए यह

+ Aradhana S. Mehta
+ Jeasha D. Mehta
+ Varsha V. Mehta

पहले वसूल करे और/या बैंक के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह उन उपचारों या प्रतिभूतियों का सहारा ले जो उसके पास हैं।

9. Notwithstanding the Bank's rights under any security which the Bank may have obtained or may obtain the Bank shall have fullest liberty to call upon the Guarantors to pay the principal sum not exceeding Rs. 12.50 cr (Rupees Twelve crores Fifty lakhs only) together with interest as well as the costs (as between advocate and client) charges and expenses, and /or other monies for the time being due to the Bank inrespect of or under the above mentioned credit facilities or any of them without requiring the Bank to realise from the Borrower the amount due to the Bank in respect of the above mentioned credit facilities and /or requiring the Bank to enforce any remedies or securities available to the Bank.

10. इस अनुबन्ध में दी गई गारंटी पर इस बात से कोई प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि बैंक का या बैंक द्वारा कोई विलय किया गया हैं, बल्कि ये सुनिश्चित किया जायेगा कि यह गारंटी विलयकर्ता बैंक या समामेलित बैंक या संगठन को उपलब्ध हो सके।

10. The Guarantee herein contained shall not be determined or in any way prejudiced by any absorption of or by Bank or by any amalgamation thereof or therewith but shall ensure and be available for and by the absorbing or amalgamated Bank or concern.

11. यह गारंटी अविकल्पी होगी और बैंक तथा ऋणी के बीच किसी विवाद के होते हुए भी गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध इसे लाग किया जा सकेगा।

11. The Guarantee shall be irrevocable and enforceable against the Guarantors notwithstanding any dispute between the Bank and the Borrower.

12. गारंटीकर्ता प्रतिज्ञान करते हैं पुष्टि करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि ऋणी द्वारा देय किसी ऋण राशि की पुष्टि और/या स्वीकृति और/या देयता की स्वीकारोक्ति या वचन या ऋणी अथवा उसके प्राधिकृत ऐजेंट द्वारा बैंक को किये गये आंशिक भुगतान के बारे में यह मान लिया जायेगा कि यह स्वयं गारंटीकर्ताओं ने किया हैं या उनकी ओर से किया गया हैं और यह बात उनमें से प्रत्येक गारंटीकर्ता पर लागू होगी।

12. The Guarantors affirm confirm and declare that any balance confirmation and/or acknowledgment of debt and /or admission of liability given or promise or part payment made by the Borrower or the authorised agent of the Borrower to the Bank shall be deemed to have been made and /or given by or on behalf of the Guarantors themselves and shall be binding upon each of them.

13. गारंटीकर्ता बैंक की मांग पर तुरंत बैंक के पास राशि या प्रतिभूति या और राशि या प्रतिभूति जमा करायेंगे, जिसके बारे में बैंक समय-समय पर यह कहे कि उस प्रतिभूति का जमा कराना इस गारंटी के अंतर्गत उनके दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं और बैंक के पास जमा कराई गई कोई भी प्रतिभूति बैंक द्वारा बेची जा सकती हैं। उसके लिए बैंक गारंटीकर्ताओं को बिक्री की उचित सूचना देगा और प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त राशि बैंक द्वारा उपर्युक्त दायित्व को पूरा करने के लिए और उस देयता को पूरा करने के लिए विनियोजित की जायेगी जो गारंटीदाताओं द्वारा गारंटी पूरी न करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो।

13. The Guarantors shall forthwith on demand made by the Bank deposit with the Bank such sum or security or further sum or security as the Bank may from time to time specify as security for the due fulfillment of their obligations under this

+ Aradhana S. Mehta
+ Harsha D. mehta.
+ Varsha V. mehta

+ Kusum S. mehta

Guarantee and any security deposited with the Bank may be sold by the Bank after giving to the Guarantors a reasonable notice of sales and the said sum or the proceeds of sale of the securities may be appropriated by the Bank in or towards satisfaction of the said obligations and any liability arising out of non-fulfillment thereof by the Guarantors.

14. गारंटीकर्ता इस बात को स्वीकार करते हैं कि उपर्युक्त ऋण अनुबन्ध और/या उपर्युक्त प्रतिभूति दस्तावेजों में, जिनमें मूलधन के अंतर्गत अलग-अलग सीमाओं के फिर से आबंटन/आपसी बदलाव, ब्याज दर में परिवर्तन, किस्तों यदि हो तो उनकी भुगतान तिथि का बढाया जाना या बैंक और ऋणी के बीच इस बारे में हुआ समझौता शामिल हैं के संबंध में ऋणी को और समय दिया जाए या बैंक उस पर मुकद्दमा न चलाये या बैंक ऋणी द्वारा दी गई किसी प्रतिभूति को छोड़ दे या नहीं इन सबका प्रभाव गारंटी कर्ताओं के इस गारंटी के अंतर्गत दायित्व को समाप्त नहीं करेगा और न यह माना जायेगा कि वे इस दायित्व से मुक्त हो गये हैं, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे किसी फेर-बदल या समझौते की दशा में गारंटीकर्ताओं का दायित्व इस अनुबन्ध में किसी बात के होते हुए भी लागू रहेगा और यह मान लिया जायेगा कि जिस तिथि या तिथियों पर ऋणी उपरोक्त ऋण अनुबन्ध और/या उपरोक्त किसी प्रतिभूति के दस्तावेजों के अंतर्गत ऐसे किसी परिर्वतन या समझौते के कारण अदायगी के लिए उत्तरदायी हो गया हैं, उसी तिथि से उसके लिए गारंटीकर्ता भी स्वयं उत्तरदायी हो जायेंगे।

14. The Guarantors hereby agree that notwithstanding any variation made in the terms of the said Agreement of Loan and/or any of the said security documents including reallocation/interchange of the individual limits within the principal sum variation in the rate of interest, extension of the date for payment of the installments, if any, or any composition made between the Bank and Borrower to give time to or not to sue the Borrower, or the Bank parting with any of the securities given by the Borrower, the Guarantors shall not be released or discharged of their obligation under this Guarantee provided that in the event of any such variation or composition or agreement the liability of the Guarantors shall not withstanding anything herein contained be deemed to have accrued and the Guarantors shall be deemed to have become liable hereunder on the date or dates on which the Borrower shall become liable to pay the amount/amounts due under the said Agreement of Loan and/or any of the said security documents as a result of such variation or composition or agreement.

15. गारंटीकर्ता इस बात को स्वीकार करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं कि बैंक को यह अधिकार होगा कि बैंक के पास जो राशियाँ पड़ी हों वह उनका समायोजन, विनियोग या प्रयोग उन उद्देश्यों के लिए कर सकता है जिससे कि इस अनुबन्ध के अंतर्गत गारंटीकर्ताओं के दायित्व को पूरा किया जा सके।

15. The Guarantors hereby agree and confirm that the Bank shall be entitled to adjust appropriate or set-off all monies held by the Bank to the credit of or for the benefit of the Guarantors on any account or otherwise howsoever towards the discharge and satisfaction of the liability of the Guarantors under these presents.

16. गारंटीकर्ता इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस बात के होते हुए भी की बैंक किसी कारण से ऋणी द्वारा दी गई प्रतिभूतियों को खो बैठता हैं और/या छोड़ देता हैं, गारंटीकर्ता इस गारंटी के अंतर्गत अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो पायेंगे और न यह माना जायगा कि वे मुक्त हो गये हैं और यदि बैंक इस प्रकार इन प्रतिभूतियों को खो बैठे या उनका परित्याग कर दे तो यह माना जायेगा कि गारंटीकर्ताओं ने इस बात की अनुमति दे दी हैं और वे इससे सहमत हैं।

x Aradhana S. Mehta. x [signature]

x [signature] D. Mehta. x [signature]

shall not be released or discharged of their obligations ... the security the Guarantors shall be the event of the Bank so losing or parting with the security the Guarantors shall be deemed to have consented to or acquiesced in the same.

17. गारंटीकर्ता इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि ऋणी जो एक व्यक्ति हैं और दिवालिया हो जाता हैं या कम्पनी होने की दशा में यदि उसका परिसमापन या समापन कर दिया जाता हैं (यह अनविार्य हो या उसकी इच्छानुसार) या ऋणी के उद्यम के प्रबंध का किसी कानून के अंतर्गत अधिग्रहण कर लिया जाता हैं या ऋणी और/या उसके उद्यम का किसी कानून के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता हैं या वह अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता कर लेता हैं तो बैंक (इस बात के होते हुए भी कि गारंटीकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति ने बैंक को इस अनुबन्ध के अंतर्गत प्रतिभूत राशि का सारा का सारा या उसके किसी अंश का भुगतान कर दिया हैं) लेनदार माना जाएगा और वह ऋणी की सारी संपत्ति के विरुद्ध अपने दावों की पूरी राशि का दावा कर सकेगा या उसके बारे में किसी प्रकार का समझौता करना स्वीकार कर लेगा या समझौते की स्वीकृति दे देगा और बैंक सारे लाभांश, समझौते के अंतर्गत प्राप्त राशि या अन्य सभी भुगतान ले सकेगा और तब तक गारंटीकर्ता बैंक के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं होंगे जब तक कि बैंक के सारे दावे पूरे नहीं कर दिए जाते और गारंटीकर्ता उन द्वारा देय राशियों का भुगतान नहीं करेंगे और न ऋणी की संपत्ति पर तब तक कोई दावा करेंगे जब तक कि ऋणी के विरुद्ध बैंक के सारे दावे पूरे नहीं हो जाते। बैंक गारंटीकर्ताओं से उन द्वारा देय सारी राशियों का भुगतान प्राप्त कर सकेगा और इस बात से कोई भेद नहीं पड़ेगा कि उपरोक्त धन से संबंधित कोई समझौता हो गया हैं या बैंक के दावे प्रमाणित हो गये हैं। उपरोक्त घटनाओं में से कोई भी घटना घट जाए तो गारंटीकर्ता उसकी सूचना लिखित रूप से तुरंत बैंक को देंगे।

17. The Guarantors agree that if the Borrower being an individual becomes an insolvent or being a company enters into liquidation or winding up (whether compulsory or voluntary) or if the management of the undertaking of the Borrower is taken over under any law or if the Borrower and/or the undertaking of the Borrower is nationalised under any law or make any arrangement or composition with creditors the Bank may (notwithstanding payment to the Bank by the Guarantors or any other person of the whole or any part of the amount hereby secured) rank as creditor and prove against the estate of the Borrower for the full amount of all the Bank's claims against the borrower or agree to and accept any composition in respect thereof and the Bank may receive and retain the whole of the dividends, composition, or other payments thereon to the exclusion of all the rights of the Guarantors in competition with Bank until all the Bank's claims are fully satisfied and the Guarantors will not be paying off the amounts payable by them or any part thereof or otherwise prove or claim against the estate of the Borrower until the whole of the Bank's claims against the Borrower have been satisfied and the Bank may enforce and recover payment from the Guarantors of the full amount payable by the Guarantors notwithstanding any such proof or composition as aforesaid. On the happening of any of the aforesaid events, the Guarantors shall forthwith inform the Bank in writing of the same.

18. इस अनुबन्ध के अंतर्गत दी गई गारंटी स्वतंत्र और किसी भी ऐसी प्रतिभूति से अलग हैं जो बैंक ने ली हो या आगे चल कर लेना हो, वह प्रतिभूति, माल चलसंपत्ति या अन्य आस्तियों पर और/या किसी अन्य चल या अचल संपत्ति पर आडमान, गिरवी और/या बंधक और/या किसी अन्य प्रभार के रुप में हो, और कि गारंटीकर्ताओं ने यह गारंटी किसी ऐसी सूचना, विश्वास या भरोसे पर नहीं दी है कि बैंक ने कोई ऐसी प्रतिभूति ली हैं और/या आगे चल कर लेगा और कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 140 और 141 या उस अधिनियम के किसी उपबंध या किसी अन्य कानून के उपबंध के

+ Aradhana S Mehta.

+ Harsha D. mehta.

+ [illegible]

होते हुए भी गारंटीकर्ता यह दावा नही करेंगे कि वे किसी हद तक अपने दायित्व से मुक्त हो गए हैं क्योंकि बैंक इस प्रकार की कोई अथवा ऐसी कोई अन्य प्रतिभूति लेने या उसकी अपेक्षा करने या किसी भी कारण से जिसमें चूक और उपेक्षा भी शामिल हैं या किसी अन्य प्रतिभूति या ऐसी किसी प्रतिभूति पर अपना अधिकार जताने में जो उसे करना चाहिए था, असफल रहा हैं।

18. The Guarantee hereby given is independent and distinct from any security that the Bank has taken or may take in any manner whatsoever whether it be by way of hypothecation pledge and/or mortgage and /or any other charge over goods, movables or other assets and /or any other property movable or immovable and that the Guarantors have not given this guarantee upon any understanding, faith or belief that the Bank has taken and/or may hereafter take any or other such security and that notwithstanding the provisions of Sections 140 and 141 of the Indian Contract Act, 1872 or other section of that Act or any other law, the Guarantors will not claim to be discharged to any extent because of the Bank's failure to take nay or other such security or in requiring or obtaining any or other such security or losing for any reason whatsoever including reasons attributable to its default and negligence, benefit of any or other such security or any of rights to any or other such security that have been or could have been taken.

19. गारंटीकर्ता इस बात को स्वीकार करते हैं कि उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत ऋणी अपने किसी दायित्व या ऋण को स्वीकार करे या लिखित रुप से अभिस्वीकृति दे और/या ऋणी उस मूलधन के किसी अंश का भुगतान करे जिसकी इस अनुबन्ध में गारंटी दी गयी हैं या बैंक द्वारा ऋणी के विरुद्ध किसी निर्णय या आदेश के जारी होने की दशा में भी ऐसा आदेश गारंटीकर्ताओं पर बाध्यकारी रहेगा तथा गारंटीकर्ता किसी भी ऐसे लेखे के विवरण का सत्य होना स्वीकार करते हैं जो ऋणी को दिया जाए और जिसे बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो और वह गारंटीकर्ताओं पर भी बाध्यकारी होगा और गारंटीकर्ता इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि ऋणी किसी ऋण की अभिस्वीकृति दे या कोई भुगतान करे तो उसके बारे में यह माना जायेगा कि वह न केवल अपनी व्यक्तिगत हैसियत से बल्कि परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 18 और 19 के उद्देश्यों के लिए भी गारंटीकर्ताओं के प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा है।

19. The Guarantors agree that any admission or acknowledgement in writing signed by the Borrower of the liability or indebtedness of the Borrower or otherwise in relation to the above mentioned credit facilities and or any part payment as may be made by the Borrower towards the Principal sum hereby guaranteed or any judgement, award or order obtained by the Bank against the Borrower shall be binding on the Guarantors and the Guarantors accept the correctness of any statement of account that may be served on the Borrower which is duly certified by any officer of the Bank and the same shall be binding and conclusive as against the Guarantors also and the Guarantors further agree that in the Borrower making an acknowledgement or making a payment the Borrower shall in addition to his personal capacity be deemed to act as the Guarantors duly authorised agent in that behalf for the purposes of Sections 18 and 19 of the Limitation Act of 1963.

20. गारंटीकर्ता यह स्वीकार करते हैं कि उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत या उनके अनुसार देय राशि जिसकी गारंटी यहां दी गई हैं उस समय देय हो जायेगी जब बैंक गारंटीकर्ता को यह सूचना देगा कि वह इस राशि का भुगतान करें और ऐसी सूचना की गारंटीकर्ताओं पर तामील या तो सूचना के उन तक वास्तव में पहुँचने पर और या रजिस्टरी या चिट्ठी डालने के प्रमाण-पत्र द्वारा चिट्ठी भेजने पर हुई मान ली जायेगी। यह चिट्ठी इस अनुबन्ध में दिये गये पते या भारत में किसी अन्य पते पर भेजी जायेगी जो गारंटीकर्ताओं ने लिख कर बैंक को बतायी हो या यह प्रार्थना की हो कि उस पते पर उनके नाम चिट्ठी भेजी जाए। बैंक द्वारा रजिस्टरी या प्रमाण पत्र के अंतर्गत वांछित पते पर

Aradhana S. Mehta

चिट्ठी भेजने के चार दिन बाद, इस खण्ड के अंतर्गत यह मान लिया जायेगा कि उस सूचना की तामील वास्तव में हो गई हैं और इतना ही काफी होगा कि उस सूचना पर बैंक के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर हों और तामील का इतना ही प्रमाण काफी होगा यदि यह प्रमाणित कर दिया जाए कि जिस लिफाफे में ऐसी सूचना चिट्ठी या मॉंग रखी गई थी, उस पर पता ठीक लिखा गया था और वह डाकखाने में डाल दिया गया था ।

20. The Guarantors agree that amount due under or in respect of the aforesaid credit facilities and hereby guaranteed shall be payable to the Bank on the Bank serving the Guarantors with a notice requiring payment of the amount and such notice shall be deemed to have been served on the Guarantors either by actual delivery thereof to the Guarantors or by despatch thereof by Registered Post or Certificate of Posting to the Guarantors address herein given or any other address in India to which, the Guarantors may by written intimation give to the Bank or request that communication addressed to the Guarantors be despatched. Any notice despatched by the Bank by Registered Post or Certificate of Posting to the address to which it is required to be despatched under this clause shall be deemed to have been duly served on the Guarantors four days after the date of posting thereof, and shall be sufficient if signed by any officer of the Bank and in proving such service it shall be sufficient if it is established that the envelope containing such notice, communication or demand was properly addressed and put into the post office.

इस अनुबन्ध के प्रमाण के स्वरूप गारंटीकर्ताओं ने उपर्युक्त दिन और वर्ष को यह अनुबन्ध निष्पादित किया हैं ।

IN WITNESS WHEREOF the Guarantors have executed these presents the day and year first hereinabove written.

श्री

श्री

श्री

ने हस्ताक्षर किए, मोहर लगाई और इसे सुपुर्द किया ।

Signed Sealed and Delivered by

Shri

Shri

and

Shri

+ Aradhana S. Mehta

+ Harsha D. mehta

+ Varsha V. mehta

+ [signature]

+ [signature]

+ [signature]

+ Kusum S. mehta

लिमिटेड

की सामान्य मुहर *

इस संबंध में मास के दिन

वर्ष एक हजार नौ सौ को पारित किए

गए निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार

(i)

और

(ii)

की उपस्थिति में लगाई गई ।

COMMON SEAL * OF

Limited

was hereunto affixed pursuant to the resolution of the Board of Directors passed in that behalf on

day of 20

in the presence of

(i)

and

(ii)

* कम्पनी की सामान्य मुहर कम्पनी के संगम ज्ञापन के अनुसार ही लगायी जानी चाहिए.

* The Common Seal of the Company must be affixed in accordance with the Articles of Association of the Company.